अनुसूची–14–फारम संख्या–562

न्यायालय समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर

सरफेसी वाद संख्या–04/2018–19

–:-आदेश–पत्रक :–

(देखे अभिलेख हस्तक–1941 का नियम–129)

आदेश पत्रक–तारीख :– .... से .... तक
जिला :– मुजफ्फरपुर .... सन्
केस का प्रकार–

विजया बैंक बनाम राकेश कुमार सिन्हा

आदेश के क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
29/01/2019	प्राधिकृत पदाधिकारी, विजया बैंक, PB No. 45, अयूबी मंजिल, तिलक मैदान रोड, मुजफ्फरपुर–842001 के द्वारा राकेश कुमार सिन्हां, रज्जू साह लेन, आम गोला रोड, मुजफ्फरपुर (ऋणकर्त्ता) एवं राजेश कुमार सिन्हा, पे0 स्व0 बी0के0 प्रसाद सिन्हां, रज्जू साह लेन, आम गोला रोड, मुजफ्फरपुर (गारंटर) के विरूद्ध SARFAESI Act 2002 की धारा–14 के अंतर्गत विपक्षी के द्वारा लिए गए ऋण के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखी गई संपत्ति (डीड संख्या 7240, दिनांक 25.05.2017, थाना संख्या 344, वार्ड संख्या 35, खाता संख्या 205, खेसरा संख्या 141, मौजा आमगोला, रकबा 1321 वर्गफीट, चौहद्दी उत्तर स्व0 त्रिवेणी कुमार सिन्हा, दक्षिण सड़क, पूरब रोड, पश्चिम राजेश कुमार सिन्हा) का दखल कब्जा प्राप्त करने के लिए दंडाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है। बैंक से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस न्यायालय के ज्ञापांक–331/न्या०, दिनांक–18.09.2018 के द्वारा विपक्षी को नोटिस के माध्यम से आदेश दिया या कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर संबंधित बैंक में सूद सहित पूरी राशि जमा करना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। नोटिस का तामिला संबंधित बैंक के माध्यम से कराया गया। प्राधिकृत पदाधिकारी, विजय बैंक, मुजफ्फरपुर के पत्र दिनांक 15.01.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 08.01.2019 को विपक्षी के द्वारा नोटिस स्वयं प्राप्त किया गया लेकिन बैंक में कोई भी राशि जमा नहीं कराई गई है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी की मंशा ऋण चुकाने की नहीं है। उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए दंडाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया गया।	

बैंक से प्राप्त तामिला प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में स्पष्ट है कि विपक्षी की मंशा ऋण चुकाने की नहीं है। इस तरह, उनके विरूद्ध SARFAESI Act 2002 की धारा–14 के अंतर्गत कार्रवाई अति आवश्यक है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ़्फ़रपुर से अनुरोध है कि उक्त बैंक से प्राप्त अधियाचना के आलोक में निर्धारित तिथि को पर्याप्त संख्या में पुलिस बल विहित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि उक्त बैंक से समन्वय स्थापित कर उक्त कार्य हेतु तिथि का निर्धारण करते हुए विहित प्रक्रिया के तहत एक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे एवं उन्हें निर्देश दिया जाए कि उक्त मामले से संबंधित संपत्ति का दखल कब्जा उक्त बैंक के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को दिलाना सुनिश्चित करेंगे।.

प्राधिकृत पदाधिकारी, विजया बैंक, PB No. 45, अयूबी मंजिल, तिलक मैदान रोड, मुजफ्फरपुर–842001 से अनुरोध है कि उक्त पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उक्त कार्य का निष्पादन करने का कष्ट करेंगे।

इस आदेश का तामिला संबंधित बैंक को जिला अग्रणी प्रबंधक, मुजफ्फरपुर के माध्यम से कराया जाए।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
–सह–जिला दण्डाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

समाहर्त्ता,
–सह–जिला दण्डाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक– 185 /.../ दिनांक– 1/2/19

प्रतिलिपि– SSP मुज०/SDO, East, मुज०/LDM, मुज०/DIO, NIC, प्राधिकृत पदाधिकारी, विजया बैंक, मुज० एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5